न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्र.क.   /2017 मिस.

कटटू पुत्र पुन्ना चमार(हरिजन) निवासी ग्राम सददूपुर (बमीठा) तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

——— आवेदक

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र रामनाथ श्रीवास्तव द्वारा मुख्तयार आम मोहन पुत्र विकृम गिरी गोस्वामी निवासी बस स्टैण्ड छतरपुर म0प्र0
2. म0प्र0 शासन

——अनावेदकगण

3. शंकरलाल पुत्र गन्सू कुम्हार
4. हरबाई पत्नी ननुवा चमार
5. किलकोटी पुत्र मथुरा चमार
6. परमलाल पुत्र घन्सू कुम्हार
7. दमरू पुत्र प्यारेलाल
8. पन्नी पत्नी पन्ना बसोर
9. लल्लू पुत्र भुमानीदीन चमार समस्त निवासी गण ग्राम सददूपुर बमीठा तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

——— तरतीवी पक्षकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू0–रा0स0 1959 के अधीन

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है।

1. यह कि, ग्राम सददूपुर बमीठा तहसील राजनगर जिला छतरपुर की, भूमि सर्वे नम्बर 177/5 रकवा 1.400 हें., 172 रकवा 1.274 हें., 172/1 रकवा 1.100 हें., 214 रकवा 1.200 हें.,, 147/3 रकवा 1.200 हें., 181/1 रकवा 1.161 हें., 181/2 रकवा 1.100 हें., 177/6/1 रकवा 1.243 हें. एवं 181/3 रकवा 0.546 हें, के ... के समक्ष मे उसी ग्राम के भूमिहीन कृषी

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

विविध अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/[illegible]/छतरपुर/भू.रा./2017/3890 **जिला** – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07.12.2017	उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। यह प्रकरण सीमांकन का है। आलोच्य आदेश के साथ संलग्न सीमांकन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही सरहदी काश्तकारों एवं पुलिसबल की उपस्थिति में ईटीएस मशीन व जरीब एवं अन्य पैमाइशी यंत्रों की सहायता से की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सीमांकन की कार्यवाही को अवैधानिक नहीं माना जा सकता। परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। (हस्ताक्षर) प्रशासकीय सदस्य	